संख्या-25/2015/116जेपीआर/22-3-15-800(116)/2014

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
मिर्जापुर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 10 फरवरी, 2015***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी नीरज मिश्रा पुत्र श्री आत्मानन्द मिश्रा, निवासी-भुदेव वकील की गली, थाना-कोतवाली शहर, जिला-मिर्जापुर (पूर्व निवासी ग्राम-कम्हरिया, थाना-घोरावल, जनपद-सोनभद्र) को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी नीरज मिश्रा पुत्र श्री आत्मानन्द मिश्रा, निवासी-भुदेव वकील की गली, थाना-कोतवाली शहर, जिला-मिर्जापुर (पूव निवासी ग्राम-कम्हरिया, थाना-घोरावल, जनपद-सोनभद्र) को शासनादेश संख्या-77/2874जेएल/22-3-14-800(116)/2014, दिनांक 20-11-2014 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-25/2015/116जेपीआर(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in